

# न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

पीठासीन अधिकारी-डॉ. रविन्द्र गोस्वामी IAS जिला कलक्टर, कोटा  
प्रकरण संख्या 2/2024

शिवलाल यादव सेवा निवृत्त आर ए एस अधिकारी भूतेश्वर मंदिन के गेट  
के सामने अन्ता रोड बारां

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर, कोटा



प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का  
अधिकार अधिनियम 2005

## निर्णय

दिनांक 09.09.2024

अपील का सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि शिवलाल यादव सेवा निवृत्त आर ए एस अधिकारी भूतेश्वर मंदिन के गेट के सामने अन्ता रोड बारां द्वारा दिनांक 12.04.2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर कोटा के यहां आवेदन जरिये डाक प्रेषित कर निम्न सूचना चाही गई थी -

1. आपके कार्यालय में राजस्व मण्डल अजमेर का मेरा जांच व अदेयता का आदेश प्रारूप-6 में उनके द्वारा जारी क्रमांक/राम/प-3707 /रातस/निजी/227 दिनांक 12.1.2021 मुझे देने हेतु कब प्राप्त हुआ था । यदि नहीं प्राप्त तो उसका विवरण भिजवाएं ।
2. आपके अथवा आपके कार्यालय से उक्त आदेश मुझे कब कहां कैसे सुपुर्द किया मेरी प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रतिलिपि मुझे उपलब्ध करावें ।
3. यदि उक्त आदेश मुझे तकसीम नहीं किया तो आपने उसका क्या किया ?

आवेदनकर्ता द्वारा उपरोक्त चाही गई सूचना नहीं मिलने पर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो दिनांक 02.07.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर कोटा से वांछित टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा जाने पर पत्रांक/सूचना/प्रथम-अपील/प-84/2024/376 दिनांक 16.8.2024 से टिप्पणी प्राप्त हुई । प्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है ।

हमने अपील में एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में राजस्व मण्डल अजमेर का जांच व अदेयता का आदेश प्रारूप-6 दिनांक 12.1.2021 आमद में IDMS software में आना नहीं पाया जाना बताते हुए इस आशय की सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/सूचना/प-84/2024/216 दिनांक 31.5.2024 से प्रार्थी अपीलार्थी को भिजवाई जा चुकी है । कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया है ।

परिणामतः प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को भिजवाई जा चुका है । अब इस अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)  
जिला कलक्टर, कोटा  
जिला कलक्टर  
कोटा